रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062023-246895
CG-DL-E-30062023-246895

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 375]	**नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 2023/आषाढ़ 7, 1945**
No. 375]	**NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2023/ASHADHA 7, 1945**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2023

सा.का.नि. 464(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 निम्निलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 और 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ नियमों में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्याक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

2. आपत्तियां या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

3. इन प्रारूप नियमों के संबंध में आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, अपर सचिव (एमवीएल), ई-मेल: comments-morth@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(**1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (....... संशोधन) नियम, 2023 कहा जा सकता है।

(2) इन नियमों में अन्यथा प्रावधान न हो तो ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) में, नियम 126-घ के पश्चात निम्नलिखित नियम को अंतर्स्थापित किया जाएगा अर्थात्-

“126-ङ. भारत न्यू कार मूल्यांकन कार्यक्रम या बीएनसीएपी:- भारत न्यू कार मूल्यांकन कार्यक्रम इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कार्यक्रम में विनिर्दिष्ट देश में निर्मित या आयातित श्रेणी एम 1 के प्रकार अनुमोदित वाहनों पर लागू होगा।

(1) बीएनसीएपी के तहत, 1 अक्टूबर 2023 से, मोटर वाहनों के निर्माता या आयातक, समय-समय पर संशोधित ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस) -197 के अनुसार अपने मोटर वाहन को स्टार रेटिंग दिलवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तय की गई प्रक्रिया के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा नामित एजेंसी जिसे इसके पश्चात "नामित एजेंसी" कहा जाएगा, को प्रपत्र 70-क में एक आवेदन जमा करा सकते हैं। मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए मोटर वाहन की लागत और मूल्यांकन की लागत संबंधित निर्माता या आयातक द्वारा वहन की जाएगी।

(2) मोटर वाहनों को एआईएस-197 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए निर्माता, आयातक, या निर्माता या आयातक के अधिकृत डीलर के परिसर से नामित एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा यादृच्छिक रूप से निकाला जाएगा।

(3) नामित एजेंसी उप-नियम (2) में चयनित वाहनों के मूल्यांकन के लिए केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 126 में विनिर्दिष्ट किसी भी परीक्षण एजेंसी का चयन करेगी। निर्माता या आयातक द्वारा चयनित वाहनों को चयनित परीक्षण एजेंसी को भेजा जाएगा।

(4) परीक्षण एजेंसी द्वारा एआईएस-197 के अनुसार वाहनों का मूल्यांकन किया जाएगा और प्रपत्र 70-ख के अनुसार नामित एजेंसी को मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(5) जांच और मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुमोदन पर, नामित एजेंसी द्वारा विनिर्दिष्ट पोर्टल पर वाहन की स्टार रेटिंग अपलोड की जाएगी।

बशर्ते कि केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 की उत्पादन आवश्यकताओं की अनुरूपता या नियम 126 के अनुसार प्रकार अनुमोदन आवश्यकताओं से केंद्र सरकार द्वारा छूट प्राप्त वाहनों पर इस नियम में कुछ भी लागू नहीं होगा।

3. उक्त नियमों में, प्रपत्र 69 के पश्चात, निम्नलिखित प्रपत्र 70-क और 70-ख अंतर्स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

“प्रपत्र सं. 70 क

[नियम 126 ङ (1) देखें]

वाहन के निर्माता या आयातक द्वारा नामित एजेंसी को प्रस्तुत किया जाने वाला प्रपत्र

आवेदन पहचान पत्र	(स्वतः उत्पन्न)		**तारीख**	(स्वतः उत्पन्न)
वाहन चयन की साइट:				
निर्माता का परिसर / आयातक का परिसर / अधिकृत डीलर का परिसर	(विषय वस्तु)			
वाहन चयन स्थल का पता	(विषय वस्तु)			
निर्माता/आयातक के एम1 श्रेणी के सभी मॉडलों की पिछले वर्ष बिक्री की कुल मात्रा की जानकारी				
मॉडल की पिछले वर्ष की बिक्री की मात्रा के बारे में जानकारी				
प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र संख्या				

वाहन की कंपनी	(विषय वस्तु)
वाहन मॉडल	(विषय वस्तु)
चेसिस संख्या	(विषय वस्तु) - कृपया प्रत्येक नमूने का विवरण प्रदान करें
इंजन संख्या/मोटर आईडी	(विषय वस्तु) - कृपया प्रत्येक नमूने का विवरण प्रदान करें
सीएमवीआर ने प्रचलित एआईएस-007 संस्करण के अनुसार परीक्षण एजेंसी को तकनीकी विशिष्टताओं की मंजूरी दी।	
उत्पादन बैच और उत्पादन की मात्रा का विवरण जिससे वाहन का चयन किया गया था।	
चयन किये जाने वाले वाहनों/मॉडलों की संख्या।	
बीएनसीएपी द्वारा वाहन चयन की तिथि।	
(अतिरिक्त जानकारी के लिए और शीट जोड़ें, यदि कोई हो)	

मैं/हम, एतदद्वारा एआईएस-197 और इस नियम में निर्दिष्ट मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए ऊपर निर्दिष्ट मोटर वाहन(वाहनों) को बीएनसीएपी में स्थानांतरित करने के लिए स्वेच्छा से सहमति देता हूँ/ देते हैं।

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

(निर्माता का पूरा नाम और पता)

निर्माता/आयातक/अधिकृत प्रतिनिधि

के हस्ताक्षर

तारीख…..............................

कार्यालय पृष्ठांकन

संदर्भ संख्या...कार्यालय …………………….........................

"प्रपत्र सं. 70 ख

[नियम 126 ड़(4) देखें]

परीक्षण एजेंसी द्वारा नामित एजेंसी को प्रस्तुत किया जाने वाला प्रपत्र

आवेदन पहचान पत्र	(स्वतः उत्पन्न)		**तारीख**	(स्वतः उत्पन्न)
प्रकार अनुमोदन प्रमाणपत्र संख्या				
मूल्यांकन करने वाली परीक्षण एजेंसी का नाम और पता				
वाहन की कंपनी				
वाहन मॉडल				

चेसिस संख्या	
इंजन संख्या /मोटर आईडी	
वाहन चयन की तिथि	
परीक्षण एजेंसी द्वारा चयनित वाहन की प्राप्ति की तिथि	
स्थान जहां परीक्षण किया गया था	
मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक मानी जाने वाली विशिष्ट रिपोर्ट/संलग्नक।	
निष्कर्ष	
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/हस्ताक्षरकर्ताओं का नाम, हस्ताक्षर।	
(अतिरिक्त जानकारी के लिए और शीट जोड़ें, यदि कोई हो) -	

के द्वारा सत्यापित नाम : पद :	के द्वारा अनुमोदित नाम : पद :

कार्यालय पृष्ठांकन

संदर्भ संख्या.. .कार्यालय…………………………………………

[सं. आरटी -11036/78/2022-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.......(अ), दिनांक .... के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2023

G.S.R 464(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Sections 109 and110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

2. The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary(MVL),email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (……………Amendment) Rules, 2023.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2 In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules), after the rule 126-D, following rule shall be inserted, namely:-

"126-E. Bharat New Car Assessment Programme or BNCAP:- The Bharat New Car Assessment Programme shall be applicable on the Type Approved vehicles of category M1, manufactured or imported in the country as specified in the Programme made by the Central Government in this regard.

(1) Under BNCAP, on and from the 1st day of October 2023, the Manufacturers or Importers of motor vehicles, to submit an application in FORM 70-A, to the agency designated by the Central Government, hereinafter referred to as "Designated Agency", in accordance with such procedure as may be decided by the Central Government, to get their motor vehicle star rated in accordance with the Automotive Industry Standard (AIS)-197, as amended from time to time. The cost of the motor vehicle for the purpose of assessment and the cost of assessment shall be borne by the respective Manufacturer or Importer.

(2) The motor vehicles for the purpose of assessment shall be randomly drawn by an authorized representative of the Designated Agency, from the premises of the Manufacturer, Importer, or authorized dealer of the Manufacturer or Importer, as per the relevant provisions of AIS-197.

(3) The Designated Agency shall select any of the testing agencies, referred to in Rule 126 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, for the assessment of the vehicles selected in sub-rule (2). The Manufacturer or Importer shall send the selected vehicles to the selected Testing Agency.

(4) The Testing Agency shall evaluate the vehicles as per AIS-197 and submit the Assessment Report to the Designated Agency as per FORM 70-B.

(5) On examination and approval of the Assessment Report, the star rating of the vehicle shall be uploaded on the designated portal by the Designated Agency.

Provided that nothing in this rule shall be applicable to vehicles exempted by the Central Government from Type Approval requirements as per Rule 126 or Conformity of Production requirements of the Central Motor Vehicle Rules, 1989."

3. In the said rules, after FORM 69, the following FORMS 70-A and 70-B shall be inserted, namely:-

"FORM NO. 70 A

[see Rule 126 E (1)]

Form to be submitted by the Manufacturer or Importer of the vehicle to the Designated Agency

Application ID	(Autogenerate)		**Date**	(Autogenerate)
Site of Vehicle Selection:				
Manufacturer's premises / Importer's premises / Authorised dealer's premises	(text box)			
Address of vehicle selection site	(text box)			
Information about last year's total sales volume of all the models of M1 category of the manufacturer/ importer				
Information about last year's sales volume of the model				
Type approval Certificate No.				
Vehicle Make	(text box)			
Vehicle Model	(text box)			
Chassis No.	(text box) – Please provide details of each sample			

Engine No./ Motor ID	(text box) – Please provide details of each sample
CMVR approved Technical specifications to the testing agency as per prevalent AIS-007 version.	
Details of production batch and production volume from which vehicle selection was done.	
No of vehicles/models to be selected.	
Date of vehicle selection by BNCAP.	
(Add more sheets for additional information, if any)	

I/We, wilfully consent to transfer of the motor vehicle(s) specified above to the BNCAP for the purpose of evaluation as specified in AIS-197 and this rule.

……………………………………..…….

………………………………………..

……………………………………......

(Full Name & address of the Manufacturer) Signature of the

Date…............................. Manufacturer/Importer/Authorised representative

OFFICE ENDORSEMENT

Ref. Number…..Office of the……………………….........................

“FORM NO. 70 B [see Rule 126 E (4)] **Form to be submitted by the Testing Agency to the Designated Agency**				
Application ID	(Autogenerate)		**Date**	(Autogenerate)
Type approval Certificate No.				
Name and address of test agency conducting Assessment				
Vehicle Make				
Vehicle Model				
Chassis No.				
Engine No./ Motor ID				
Date of vehicle selection				
Date of receipt of the selected vehicle by testing agency				
Site(s) where testing was carried out				
Specific Reports / Enclosures considered relevant for Assessment.				
Conclusions				
Name, Signature of Authorised Signatory/				

Signatories.	
(Add more sheets for additional information, if any) -	

Verified By Name : Designation :	Approved By Name : Designation :

OFFICE ENDORSEMENT

Ref. Number..Office of the……………………...............................

[F. No. RT-11036/78/2022-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide Notification number …….. dated…………

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA